

## महत्वपूर्ण सूचना

यह संज्ञान में आया है कि चोरी अथवा बरामद वाहन की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थियों द्वारा करेंसी नोट संलग्न कर आवेदन डाक द्वारा भेजा जा रहा है। इस ब्यूरो द्वारा इस प्रकार के डाक द्वारा भेजे गये किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, अपितु यदि किसी प्रार्थी द्वारा डाक के जरिये करेंसी नोट भेजा जाता है तो प्रार्थी अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत कर एक माह के भीतर इस कार्यालय से अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। एक माह के पश्चात यह धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

चोरी तथा बरामद वाहनों की जानकारी **NCRB** वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक **Vehicle Enquiry** पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा निःशुल्क है। अथवा **NCRB** कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर रु **10/-** जमा कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

### IMPORTANT

It is observed that applicants are enclosing currency notes along with their application through post to get the information of Stolen and Recovered motor vehicles. NCRB do not process such applications received through post. In case such currency note is sent by post, it may be collected by the applicant from this office by producing the proof of his/her identity within one month from the date of letter. After one month, no claim shall be entertained and the amount shall be forfeited.

**The information pertaining to Stolen and Recovered motor vehicles can be obtained free of cost by clicking the link "Vehicle Enquiry", available on Bureau's website. Otherwise, Rs. 10/- can be deposited in person at NCRB office to get the information.**